



44/46

५५०७-७१५१५५

21/7/14

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर,

क

७-7-14

5.20 P.M

प्रकरण क्रमांक

/2014 पुनरीक्षण R 1984 1114

1. बालकृष्ण पुत्र धन्नालाल

2. राजनारायण पुत्र धन्नालाल

निवासीगण- ग्राम नापली,

तहसील व जिला सीहोर,

म०प्र०

---आवेदकगण

बनाम

1. नरेश

2. बाबूलाल

3. जटालसिंह

निवासीगण- ग्राम नापली,

तहसील व जिला सीहोर,

म०प्र०

---अनावेदकगण/शिकायतकर्तागण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व
संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 16/6/2014
पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार सीहोर के
प्रकरण क्रमांक 83/बी-121/2013-14 पुनरीक्षण
व उनवान जटालसिंह आदि बनाम बालकृष्ण आदि ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण माननीय
न्यायालय के समक्ष निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, अनावेदकगण/शिकायतकर्तागण द्वारा अधीनस्थ
तहसील न्यायालय के समक्ष एक शिकायती

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक R/984/III/14 (सुनवाई) कालकूठा नरेश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभाषकों के हस्ताक्षर
6/2/19	<p>इस प्रकरण में दिनांक 10/9/18 को उभय पक्ष अधिवक्तों के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायक-सुनवाई के प्रकरण क्रमांक 83/की-121/13-14 में पारित आदेश दिनांक 16/6/14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है। अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण कलेक्टर जिला सुनवाई के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 29/1/19 को कलेक्टर जिला सुनवाई के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	
		<p>सदस्य 6/2/19</p>

Handwritten signature/initials on the left margin.